

2021/204


नेमीचड बनाम 500 तिजारा

12/85/204

29.11.2021

14/12/21

पत्रावली पेश हुई। प्रस्ताव अपील का
 विशुद्ध परिशीलन किया गया। अपील व
 RTI आवेदन की विषयवस्तु सरपंच निवचन
 सम्बन्धी होने के कारण यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार
 में श्रवण योग्य नहीं है। अतः मूल अपील जिला
 निवचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर को सुनवाई
 हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर के कम होकर
 अपील सम्बन्धी दस्तावेज फोटोप्रति रूप में जमा
 लेख भण्डार हो। सुनाया गया।


 अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
 अलवर (राजग)